संख्याः 1769 /VII-1/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री पंकज गुप्ता,
अध्यक्ष,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,
उत्तरांचल राज्य, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून. दिनांकः 21 मई 2005

विषयः **उत्तरांचल में निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के संबंध में।**

महोदय;

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांकः 20.03.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्याः 940/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांकः 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून के प्रस्ताव पर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ. शुल्क दिनांकः 10 जून, 2003 में प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के रूप में ग्राम लकेश्वरी, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की (जिला हरिद्वार) की अधिसूचित भूमि, जिसके खसरा नम्बर अनुलग्नक –1 में उल्लिखित हैं, की सीमा निरन्तरता में 30 एकड़ से अधिक होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै0 लकेश्वरी, परगना भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निजी क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र घोषित/अधिसूचित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क–2003 दिनांकः 10 जून, 2003 में **Category-B : Proposed Industrial Area/Estate** के अन्तर्गत अधिसूचित हैं तथा इस अधिसूचित है तथा इस अधिसूचित भूमि पर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 07 जनवरी, 2003 द्वारा घोषित/प्रदत्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज **(Fiscal Incentives)** का लाभ स्थापित होने वाले औद्योगिक

इकाईयों को प्रस्तर 3 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुपालन करने के उपरान्त अनुमन्य होगा।

2. चूंकि इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, अतः औद्योगिक प्रयोजन हेतु उत्तरांचल शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–201/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 दिनांक:24 सितम्बर, 2004 से भूमि क्रय के संबंध में प्राख्यापित नियमावली, 2004 के प्रस्तर–(4)(3)(क) तथा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण के लिए राजस्व सचिव, राजस्व अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–101–1(7)/89–ए–1 दिनांक: 08 जनवरी, 1989 से निर्धारित प्रक्रियानुसार शासन की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

3. गत अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक आस्थान के प्रमोटर/फैसिलिटेटर उद्योगों की भूमि आवंटन/बिक्रय का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासन/सक्षम प्राधिकारी से निम्नलिखित स्वीकृतियॉ प्राप्त करेंगे।

(i) फैसिलिटेटर/प्रमोटर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की भूमि (जो खसरा नं0 अनुलग्नक 1 में अधिसूचित है) का स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
(ii) औद्यौगिक आस्थान के तलपट मानचित्र की स्वीकृति।
(iii) भू–उपयोग परिवर्तन करने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी के आदेश।
(iv) आवंटियों के पक्ष में की जाने convenyance deed की प्रति, जिसमें आवंटन की पूर्ति उल्लिखित हो, की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

4. इन स्वीकृतियों को प्राप्त किये बिना आवंटन/बिक्रय अनियमित माने जायेंगे एवं शासन ऐसे अनियमित उद्योगों को औद्योगिक पैकेज के लाभ से वंचित कर सकता है।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

1764

पृष्ठांकन संख्याः__ __/VII-1/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
13. **NIC Uttaranchal** : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

आज्ञा से,

7/7/05

(संजीव चोपड़ा)

सचिव।